भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1365
उत्तर देने की तारीख 27 जुलाई, 2026
5 श्रावण, 1948 (शक)

राष्ट्रीय खेल विकास निधि का उपयोग न होना

1365. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत निधि के अल्प उपयोग और अनुचित उपयोग के बारे में समस्याओं का संज्ञान लिया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एनएसडीएफ निधि के आवंटन और वास्तविक उपयोग का वर्ष वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निधि की नियमित संपरीक्षा की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं; और

(घ) सरकार ने एनएसडीएफ निधि में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): वर्ष 1998 में पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य उत्कृष्ट एथलीटों को सहायता प्रदान करने, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण और एक्पोजर को सुगम बनाने, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं को सहायता प्रदान करने तथा खेल अवसंरचना के विकास के माध्यम से खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यह ओलंपिक और पैरालंपिक पदक तैयारी के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) को ब्लॉक अनुदान प्रदान करने सहित खेलो इंडिया जैसी प्रमुख स्कीमों को अनुपूरक की भूमिका निभाने के साथ उच्च प्रदर्शन वाले खेलों और खेल अवसंरचना के लिए आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

एनएसडीएफ एक सुदृढ़ संस्थागत एवं वित्तीय शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती है। अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है, जिन पर कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा विचार किया जाता है तथा तत्पश्चात एनएसडीएफ परिषद द्वारा उनका अनुमोदन किया जाता है। निधियों का निर्गमन निर्धारित माइलस्टोन की प्राप्ति के आधार पर चरणबद्ध ढंग से किया जाता है तथा आगामी किस्तें उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण एवं उनके सत्यापन के उपरांत ही जारी की जाती हैं। खेल अवसंरचना परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की निगरानी जियो-टैग्ड छायाचित्र, निधियों का समयबद्ध एवं पात्रतानुसार उपयोग सुनिश्चित करके समय-समय पर प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों के माध्यम से की जाती है।

लेखापरीक्षा के संबंध में, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के लेखा प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा निर्धारित प्रारूपों के अनुसार तैयार किए जाते हैं तथा कार्यकारी समिति (ईसी) की स्वीकृति से नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा उनका वार्षिक लेखापरीक्षण किया जाता है। लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को तत्पश्चात भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जिसके उपरांत सीएजी द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) का प्रारूप जारी किया जाता है। प्रारूप सीएसआर में उल्लिखित निष्कर्षों/टिप्पणियों पर एनएसडीएफ का उत्तर विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर सीएजी द्वारा एसएआर को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है।

इस प्रकार, प्रस्तावों के मूल्यांकन, अनुमोदन, निगरानी तथा लेखापरीक्षा की यह समग्र व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि एनएसडीएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल पात्र गतिविधियों के लिए ही प्रदान की जाए तथा उसका प्रभावी उपयोग देश में खेलों एवं खिलाड़ियों के विकास को प्रोत्साहित करने में हो।

एनएसडीएफ को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं कॉर्पोरेट संस्थानों से उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के अंतर्गत अंशदान तथा व्यक्तियों से स्वैच्छिक दान प्राप्त होते हैं। इन प्राप्तियों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा 25 प्रतिशत का अंशदान भी प्रदान किया जाता है। विगत पाँच वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर और सरकारी अंशदान सहित एनएसडीएफ की प्राप्तियों तथा निधि के उपयोग का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	प्राप्ति (सीएसआर + सरकारी आवंटन)	उपयोगिता
2021-22	24.63	63.50
2022-23	63.99	65.49

2023-24	137.52	151.16
2024-25	89.93	101.57
2025-26	53.12	82.78
2026-27	15.84	27.21
कुल	385.03	491.71
